भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1746

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाना

1746. श्री जी. सेल्वम:

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पहल की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्टार्ट-अप द्वारा सृजित रोजगार का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन स्टार्ट-अप्स द्वारा सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): सरकार ने नवप्रयोग को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

विकास के लिए अनुकूल समावेशी वातावरण तैयार करने के लिए सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के संवर्धन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे उपायों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

- (घ): पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों द्वारा 6.15 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की सूचना दी गई है। तमिलनाडु राज्य सहित इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-11** में दिया गया है।
- (ङ): ऐसी सूचना सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से समेकित नहीं की जाती है।

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में 'स्टार्टअप्स' को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- 1. स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना: स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादिमक क्षेत्र साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैली 19 कार्य मदें शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
- 2. स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह: स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों का क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।
- 3. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस): किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
- 4. स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम: सरकार ने स्टार्टअप्स की निधियन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की मानीटरिंग एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरुआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बलिक घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा दिया है।
- 5. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस): सरकार ने सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य, पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
- 6. विनियामक सुधार: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 55 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
- 7. अधिप्रापित को आसान बनाना: अधिप्रापित को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्रापित में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), सरकार द्वारा स्टार्टअप्स से उत्पादों और सेवाओं की खरीद की सुविधा को भी बढ़ावा देता है।
- 8. श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणनः स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमित है।
- 9. **3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अविध के दौरान लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।

- 10. स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास: सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।
- 11. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019): डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप, आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (vii) (ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।
- 12. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता: स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरुआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिए उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
- 13. स्टार्टअप इंडिया हब : सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है, जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तािक वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। यह ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
- 14. भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक, विभिन्न संपर्क मॉडलों के जिरए भारतीय स्टार्टअप पिरवेश को वैश्विक स्टार्टअप पिरवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जिरए किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 20 से अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
- 15. स्टार्टअप इंडिया शोकेस : स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए, देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग, अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों ने इन स्टार्टअप को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थित के महत्व को रेखांकित किया है।
- 16. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद : सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 17. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए): राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की पहल है, जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विस्तारयोग्य उद्यमों का विकास कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपतित सृजन की अत्यधिक क्षमता है और जो माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरिशप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
- 18. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ)**: यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है।

रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य, बेहतर कार्य पद्धितयों की पहचान करने, उनसे सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए नीतिगत कार्यकलापों पर प्रकाश डालने और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

- 19. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन:** दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम, एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें पुरस्कार विजेता / राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर किया जाता है। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।
- 20. स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह: सरकार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना है।
- 21. **एसेन्ड**: एसेन्ड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमियता उत्साह को बढ़ाना) के तहत सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप्स और उद्यमियता के संबंध में जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमियता के प्रमुख पहलुओं के संबंध में क्षमता बढ़ाना एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा इन राज्यों में एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम का सुजन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
- 22. स्टार्टअप इंडिया इनवेस्टर कनेक्ट पोर्टल जिसे सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, एक अंतर्वर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को आपस में जोड़ता है ताकि विभिन्न उद्योगों, संचालनों, स्तरों, क्षेत्रों तथा पृष्ठभूमि से जुड़े उद्यमियों को पूंजी एकत्र करने में सहायता प्रदान कर सके। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य, विशेष रूप से देश में किसी भी स्थान पर स्थित शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को अग्रणी निवेशकों/वेंचर कैपिटल फंड के समक्ष खुद को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है।
- 23. नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (मार्ग): देश के सभी हिस्सों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ीकरण और विकास (मार्ग) कार्यक्रम का विकास और शुभारंभ किया गया है।
- 24. एमईआईटीवाई स्टार्टअप हुब (एमएसएच): देश भर में गहन तकनीकी स्टार्टअप अवसंरचना को आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एक नोडल इकाई 'एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच)' की स्थापना की गई है। एमएसएच इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स के विकास, बाजार तक पहुंच बढ़ाने आदि में सहायता कर रहा है तथा विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी भी स्थापित कर रहा है जिससे नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
- 25. टाइड 2.0 स्कीम: आईओटी, एआई, ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने वाले आईसीटी स्टार्टअप्स की सहायता में संलग्न इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके तकनीकी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में उद्यमियों का प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और विकास (टाइड 2.0) स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम 3 स्तरीय संरचना के जिरए 51 इन्क्यूबेटर्स की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है जिसका व्यापक उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं तथा प्रमुख आरएंडडी संगठनों में इन्क्यूबेशन क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है।
- 26. क्षेत्र विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र: एमईआईटीवाई ने आत्मिनर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में 26 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को संचालनरत बनाया है। ये क्षेत्र विशिष्ट सीओई नवप्रयोग के को जन-जन तक पहुंचाने और प्रोटोटाइप के इस्तेमाल के जिरए, उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत को नवप्रयोग केंद्र बनाने में इनेबलर्स और सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
- 27. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी): जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उद्योग-अकादिमक इंटरफेस एजेंसी स्वच्छ ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों सिहत सभी जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बायोटेक स्टार्टअप की सहायता कर रही है। बायोटेक इग्निशन ग्रांट (बिग), लघु व्यवसाय नवप्रयोग अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) सिहत इसकी प्रमुख स्कीमों के तहत उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्टार्टअप और कंपनियों को परियोजना आधारित निधीयन प्रदान किया जाता है। 'प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए जैव इन्क्यूबेटर्स

- प्रोत्साहन उद्यमिता (बायोनेस्ट)' के जरिए स्टार्टअप और कंपनियों को इन्क्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
- 28. **समृद्ध स्कीम:** एमईआईटीवाई ने 'उत्पाद नवप्रयोग के विकास और वृद्धि के लिए एमईआईटीवाई का स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम (समृद्ध) ' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा और भावी एक्सीलेरेटर को संभावित सॉफ्टवेयर उत्पाद आधारित स्टार्टअप का चयन करने और प्रोत्साहित करने में सहायता करना है।
- 29. नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस): एनजीआईएस को सॉफ्टवेयर उत्पाद इकोसिस्टम की सहायता करने तथा सॉफ्टवेयर उत्पाद संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी) 2019 के बड़े हिस्से के संबंध में अनुमोदित किया गया है।
- 30. ई एंड आईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण हेतु सहायता (एसआईपी-ईआईटी) स्कीम: एमईआईटीवाई में 'ई एंड आईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण हेतु सहायता (एसआईपी-ईआईटी)' नामक स्कीम भी शुरू की है जो भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करती है तािक नवप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय आईपी के मूल्य और क्षमताओं को पहचाना जा सके। स्कीम के तहत प्रति आविष्कार अधिकतम 15 लाख रूपए तक की प्रतिपूर्ति अथवा पेटेंट आवेदन की फाइलिंग तथा उस पर कार्यवाही किए जाने पर आने वाले कुल व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाती है।
- 31. पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्यमिता और स्टार्टअप सम्मेलन (एनईआरईएस): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उद्यमिता और स्टार्टअप सम्मेलन 'एनईआरईएस' का आयोजन किया जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में क्षमता वाले स्टार्टअप्स और उभरते हुए उद्यमियों को मंच प्रदान करना है। एनईआरएसईएस का उद्देश्य एनईआर राज्यों में उद्यमिता संबंधी विचारों को बढ़ावा देना था तथा यह स्टार्टअप उद्यमियों को अपने व्यावसायिक आइडियाज प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करके बढ़ावा देता है और स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों को दूर करता है। यह कार्यक्रम उभरते हुए और मौजूदा उद्यमियों/स्टार्टअप्स के लिए मंच उपलब्ध कराता है ताकि वे भागीदारी कर सकें तथा अपने व्यावसायिक आइडियाज और योजना दर्शा सकें। यह उन्हें बेहतर पद्धतियों के बारे में अधिक जानने तथा साथी स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित करने में भी मदद करता है। इस कार्यक्रम ने मार्गदर्शकों और ऐसे इकोसिस्टम से सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त किया है जो उनके व्यवसाय की वृद्धि में सहायता करते हैं।
- 32. अटल इनोवेशन मिशन: अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), संपूर्ण देश में नवप्रयोग और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की प्रमुख पहल है। एआईएम ने अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं में जिज्ञासा, सृजनात्मकता तथा कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना और डिजाइन से संबद्ध प्रतिभा, सोच-विचार, ज्ञान अर्जित करने, भौतिक गणना, तीव्रता से गणना और मापने जैसे कौशलों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- 33. नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलिपेंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन्स (निधि): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने सफल स्टार्टअप्स में आइडियाज़ और नवप्रयोग (ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित) को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलिपेंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन्स (निधि) नामक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया।
- 34. रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग (आईडीईएक्स): रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने आईडीईएक्स की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों, जैसे एमएसएमई और स्टार्टअप, आरएंडडी संस्थानों तथा शिक्षा जगत को शामिल करके तथा उन्हें आरएंडडी के लिए अनुदान उपलब्ध कराकर रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भर बनना तथा नवप्रयोग व प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाना है।

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020, 2021 और 2022 के दौरान मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा सृजित प्रत्यक्ष नौकरियों (स्व-संसूचित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32	72	71
2.	आंध्र प्रदेश	2,849	2,304	3,067
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	31	55
4.	असम	874	1,408	2,553
5.	बिहार	2,142	3,123	4,519
6.	चंडीगढ़	355	978	893
7.	छत्तीसगढ़	1,054	1,710	2,137
8.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	31	136	147
9.	दिल्ली	17,748	22,389	30,112
10.	गोवा	340	494	860
11.	गुजरात	9,300	17,393	23,630
12.	हरियाणा	10,511	10,306	13,694
13.	हिमाचल प्रदेश	281	344	972
14.	जम्मू और कश्मीर	457	776	1,314
15.	झारखंड	1,353	1,374	1,835
16.	कर्नाटक	23,947	20,864	24,568
17.	केरल	5,446	7,605	10,307
18.	लद्दाख	3	-	32
19.	लक्षद्वीप	7	-	-
20.	मध्य प्रदेश	3,479	6,568	11,502
21.	महाराष्ट्र	29,211	38,504	50,983
22.	मणिपुर	116	382	309
23.	मेघालय	-	48	61
24.	मिजोरम	2	15	106
25.	नागालैंड	32	81	71
26.	ओडीशा	2,225	3,742	4,526
27.	पुदुचेरी	68	198	233
28.	पंजाब	1,710	2,429	2,318
29.	राजस्थान	4,482	5,608	11,588
30.	सिक्किम	2	29	22
31.	तमिलनाडु	7,772	9,690	17,203
32.	तेलंगाना	8,599	9,613	14,249
33.	त्रिपुरा	745	95	188
34.	उत्तर प्रदेश	13,253	18,869	22,794
35.	उत्तराखंड	709	1,714	1,684
36.	पश्चिम बंगाल	2,691	6,635	9,353
	कुल	151,826	195,527	267,956
